भारत सरकार
(जनजातीय कार्य मंत्रालय)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. † 3096
उत्तर देने की तारीख: 15.03.2021

कोविड-19 महामारी के दौरान जनजातियों के लिए योजनाएं

†3096. श्री अरविंद धर्मापुरी:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान सम्पूर्ण देश में जनजातियों के विकास हेतु कोई नई योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नई योजनाओं के लिए आवंटित निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास उक्त योजनाओं को अत्यधिक सुदूर क्षेत्रों में रह रहे जनजाति लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई तंत्र है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) से (ङ): जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान कोई नई स्कीम शुरू नहीं की गई थी| तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान जनजातीय समुदाय पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित सक्रिय उपाय किए है:

- गृह मंत्रालय द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुरोध पर, दिनांक 16.04.2020 के आदेश सं. 40-3/2020-डीएम-I(ए) द्वारा देश भर के वन क्षेत्रों में अ.ज.जा. और अन्य वन निवासियों द्वारा लघु वन उत्पाद (एमएफपी)/गैर टिम्बर वन उत्पाद (एनटीएफपी) के संग्रहण, फसल कटाई और प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) हेतु लॉकडाऊन के प्रावधानों में छूट देने के उद्देश्य से दिशानिर्देश जारी किए गए|

- जनजातीय कार्य मंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर लघु वन उत्पाद (एमएफपी) की खरीद सकारात्मक रूप से करने के लिए संबंधित राज्य नोडल ऐजेंसियों को सुग्राही बनाने के लिए 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा| इन राज्यों में उत्तर प्रदेश; गुजरात; मध्य प्रदेश; कर्नाटक; महाराष्ट्र; असम; आंध्र प्रदेश; केरल; मणिपुर; नागालैंड; पश्चिम बंगाल; राजस्थान; ओडिशा; छत्तीसगढ़ और झारखण्ड शामिल हैं|

- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कोविड-19 की स्थिति में, लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को संशोधित किया है और एमएफपी खरीद के माध्यम से जनजातियों की आय सृजन गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हुए एमएफपी सूची के तहत 37 नई वस्तुओं को भी जोड़ा है जिससे स्कीम के तहत एमएफपी की कुल संख्या 87 हो गई है| वर्ष 2020-21 के दौरान, जनजातीय एमएफपी संग्रहकर्ताओं को तत्काल आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने 157.51 करोड़ रूपये मूल्य की एमएफपी की खरीद की है| एमएफपी खरीद के राज्य-वार ब्यौरे **अनुलग्नक 1** पर संलग्न है|

- मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 में महामारी की स्थिति के दौरान शिक्षा की निरंतरता के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु डीबीटी के माध्यम से मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के तहत 35.2 लाख जनजातीय छात्रों को 1986.31 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गई है| राज्य-वार जारी की गई निधियों और लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक 2** के अनुसार है|

- मंत्रालय ने अ.ज.जा. के कल्याण और विकास से संबंधित विभिन्न गतिविधियां जिसमें आजीविका सहायता शामिल है, के लिए प्रमुख स्कीमों नामतः जनजातीय उप-स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए), विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास, लघु वन उत्पाद को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी को एमएसपी) और संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के लिए राज्यों को 1539.93 करोड़ रूपये की राशि भी वितरित की है| इसका ब्यौरा **अनुलग्नक** 3 पर दिया गया है|

- ट्राइफेड को एमएफपी के निपटान, राज्यों के पास उपलब्ध एमएफपी की मात्रा, भंडारण के लिए योजना के साथ खरीद के लिए कार्यनीति, मूल्य संवर्धन और एमएफपी की बिक्री में जनजातियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का पता लगाने के लिए राज्यों के साथ समन्वय के लिए कहा गया था और ट्राइफेड ने यूएनआईसीईएफ के सहयोग से एक वेबिनार भी आयोजित किया था जिसमें वन धन विकास केन्द्रों के सदस्यों को कोविड-19 और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूक किया गया था|

- राज्य सरकारों ने ‘हाट बाजारों’ जहां साप्ताहिक बाजारों के दौरान शहरी क्षेत्रों से व्यापारी आते हैं, को बंद करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं और आशा कार्यकर्ता (वर्कर) भी स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, पीवीटीजी के बीच सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) और जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजित करने के लिए काम पर लगे हुए थे|
- मंत्रालय द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक दूरी, मास्क पहनने और हाथ धोने इत्यादि संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए जमीनी स्तर पर सेवा प्रदाताओं (अर्थात आशा, एडब्ल्यूडब्ल्यू, एएनएम) के माध्यम से राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों से अनुरोध किया गया था|
- मंत्रालय द्वारा दिनांक 22.12.2020 के पत्र सं. 08/02/2020-आजीविका द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के जनजातीय कल्याण विभागों को जनजातीय समुदायों के बीच कोविड-19 टीके पर जागरूकता सृजित करने और उनके संघटन/जुटाव सहित टीकाकरण व्यवस्था के लिए सरकारी अधिकारियों की सहायता का अनुरोध किया गया|

***

दिनांक **15.03.2021** को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक- **1**

2020-21 के दौरान राज्यों द्वारा खरीदे गए एमएफपी का मूल्य*

क्र.सं.	राज्य	एमएफपी का मूल्य (लाख रु. में)
1	छत्तीसगढ	11375.31
2	गुजरात	345.89
3	झारखंड (जेएचएएमसीओएफईडी)	7.91
	झारखंड (जेएएससीओएलएएमपीएफ)	402.87
4	महाराष्ट्र	31.59
5	आंध्र प्रदेश	96.09
6	मध्य प्रदेश	96.10
7	ओडिशा	3032.62
8	राजस्थान	5.92
9	पश्चिम बंगाल	28.44
10	मणिपुर	1.20
11	नागालैंड (डीयूडीए)	12.40
12	उत्तर प्रदेश	0
13	केरल	3.8
14	कर्नाटक	41.54
15	असम	34.79
16	त्रिपुरा (टीआरपीसी लि.)	0
	त्रिपुरा (एमएआरकेएफईडी)	0
17	तमिलनाडु	0
18	मिजोरम	0
19	तेलंगाना#	*235.19*
	कुल	**15751.66**

नोट: # तेलंगाना राज्य ने राज्य / स्वयं के कोष से एमएफपी की खरीद की।

** आज तक की स्थिति के अनुसार खरीद।*

दिनांक 15.03.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक- 2

2020-21 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य-वार निधि संवितरण और लाभार्थी आंकड़े

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	मैट्रिक-पूर्व		मैट्रिकोत्तर	
		निर्मुक्त निधि (लाख रु. में)*	लाभार्थी (राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रस्ताव के अनुसार अनुमानित)	निर्मुक्त निधि (लाख रु. में)*	लाभार्थी (राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रस्ताव के अनुसार अनुमानित)
1	अंडमान और निकोबार	12.33	450	13.29	700
2	आंध्र प्रदेश	1433.81	63653	6039.35	181921
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	5712.96	24000
4	असम	0	0	5413.54	0
5	बिहार	0	55198	708.22	19513
6	छत्तीसगढ़	1614.55	149574	4336.77	158892
7	दादर और नगर हवेली	234	5548	1688.14	0
8	गोवा	41.35	3475	458.18	6412
9	गुजरात	2198.84	0	22977.64	0
10	हिमाचल प्रदेश	91.87	3534	0	5121
11	जम्मू और कश्मीर	0	11470	0	27839
12	झारखंड	0	114609	0	83374
13	कर्नाटक	0	62126	0	129094
14	केरल	116.56	11220	3285.25	16663
15	लद्दाख	42.27	3450	738	8200
16	मध्य प्रदेश	5429.34	350865	12344	350000
17	महाराष्ट्र	0	111939	18149.52	157070
18	मणिपुर	0	0	2184.19	50000
19	मिजोरम	167.86	17000	3446.82	47000
20	नागालैंड	60.75	3000	3226.37	43373
21	ओडिशा	6944.96	196355	19095.97	180109
22	पुदुचेरी	1.63		19.56	
23	राजस्थान	3126.9	202588	25557.03	315315
24	सिक्किम	9.41	414	553.83	5317
25	तमिलनाडु	241	13471	3328.99	
26	तेलंगाना	0	6000	27297.83	142167
27	त्रिपुरा	82.13	12627	4804.98	26092
28	उत्तर प्रदेश	0	0	2218.67	19782
29	उत्तराखंड	138.24	7117	0	7164
30	पश्चिम बंगाल	788.22	41438	2256.42	68804
	कुल	**22776.02**	**1447121**	**175855.5**	**2073922**

* 31.01.2021 तक की स्थिति के अनुसार

अनुलग्नक- 3

दिनांक 15.03.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक- 3

28.02.2021 तक जनजातीय कार्य मंत्रालय / अनुदान की प्रमुख योजनाओं के तहत 2020-21 के दौरान राज्यों को निधियां जारी करना

(लाख रू. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	अनुच्छेद 275(1) अनुदान	टीएसएस को एससीए	पीवीटीजी	एमएफपी को एमएसपी
1.	आंध्र प्रदेश	2055.55	3205.80	1245.51	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4894.00	4465.50	0.00	0.00
3.	असम	4592.37	3361.09	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	994.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	8484.43	8769.06	989.32	0.00
6.	गोवा	0.00	724.26	0.00	0.00
7.	गुजरात	5940.04	9358.36	552.20	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1161.00	1367.00	0.00	0.00
9.	झारखंड	8993.12	6743.55	1136.06	0.00
10.	कर्नाटक	3305.68	0.00	438.46	0.00
11.	केरल	0.00	459.15	88.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	4279.78	0.00	2188.11	0.00
13.	महाराष्ट्र	4573.16	0.00	753.67	0.00
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	1909.71	1236.22	0.00	91.50
17.	नागालैंड	1717.38	1515.50	0.00	0.00
18.	ओडिशा	4685.24	9010.42	1202.00	0.00
19.	**राजस्थान**	**9011.00**	**5910.50**	**968.00**	**0.00**
20.	सिक्किम	516.00	0.00	0.00	0.00
21.	तमिलनाडु	0.00	377.47	551.08	259.91
22.	तेलंगाना	2517.00	3451.00	1460.50	0.00
23.	त्रिपुरा	201.74	1173.30	231.43	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	927.43	508.83	82.04	0.00
25.	उत्तराखंड	0.00	757.80	295.00	0.00
26.	पश्चिम बंगाल	4041.14	3746.00	519.40	0.00
	कुल	**73805.77**	**67134.81**	**12700.78**	**351.41**

*****